

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 243/2024

**AZAMGARH POLICE**

दिनांक- 04.08.2024

**प्रेस-विज्ञप्ति**

**थाना - कन्धरापुर, आजमगढ़**

**गौ संरक्षण केन्द्र से चोरी गये 32 बोरी मिल्क मोर पशु आहार (कीमत लगभग 20 हजार रूपयें) के साथ 04 चोर गिरफ्तार, मैजिक वाहन बरामद ।**

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2024 को वादी विजय कुमार(ग्राम प्रधान) s/o महेन्द्र प्रसाद ग्राम गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने प्रा0पत्र दिये कि ग्राम गदनपुर हिच्छनपट्टी में बृहद गौ संरक्षण केन्द्र संचालित है जिसकी देख-रेख में 7 गौ-पालक लगे है। दिनांक 03.08.2024 को रात्रि लगभग रात्रि 11.00 बजे से 11.20 बजे के बीच गौ-पालक विरेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी गंगटिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ व राजमणि यादव पुत्र अकबाल यादव, ओमकार यादव s/o चौधरी निवासीगण गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने साथी अनिल पुत्र रामचेत राम निवासी बीबीपुर थाना तहबरपुर जि0 आजमगढ़ अपनी मैजिक गाड़ी न0-UP 50 CT 2170 में पशु आहार चारा जो कुल 32 बोरी है गौ शाला से गाड़ी में भरकर चुराकर ले जाने के सम्बंध में मु0अ0स0 219/2024 धारा 303 बीएनएस बनाम- 1.विरेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी गंगटिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 2. राजमणि यादव पुत्र अकबाल यादव निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 3.ओमकार यादव s/oचौधरी निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ 4.अनिल पुत्र रामचेत राम निवासी बीबीपुर थाना तहबरपुर जि0 आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 04.08.2024 को पंजीकृत कराये।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 04.08.2024 को उ0नि0 लाल सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.विरेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी गंगटिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष 2. मनोज उर्फ राजमणि यादव पुत्र अकबाल यादव निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष 3.ओमकार यादव s/oचौधरी निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र वर्ष 35 वर्ष 4.अनिल राम पुत्र रामचेत राम निवासी बीबीपुर थाना तहबरपुर जि0 आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को चोरी गये 32 बोरी मिल्क मोर पशु आहार मय मैजिक लोडर वाहन सं UP 50 CT 2170 के साथ मंदुरी एयरपोर्ट के पीछे बन्द पड़े स्कूल के पास से समय 15.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 219/24 धारा धारा 303, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.विरेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी गंगटिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

2. मनोज उर्फ राजमणि यादव पुत्र अकबाल यादव निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

3.ओमकार यादव s/oचौधरी निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र वर्ष 35 वर्ष

4.अनिल राम पुत्र रामचेत राम निवासी बीबीपुर थाना तहबरपुर जि0 आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।

अपराधिक इतिहास- अभियुक्त 1.विरेन्द्र चौहान पुत्र हरिलाल चौहान निवासी गंगटिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

1.मु0अ0सं0 219/24 धारा 303, 317(2) BNS. थाना कन्धरापुर

2.मु0अ0सं0 46/20 धारा 147/148/149/323/427/452/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

बरामदगी-

1- 32 बोरी मिल्क मोर पशु आहार (कीमत लगभग 20 हजार रूपये) मय मैजिक लोडर वाहन सं UP 50 CT 2170 .

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री लाल सिंह , उ0नि0 श्री रमेश कुमार, उ0नि0 श्री जावेद अख्तर , हे0का0 सुरेन्द्र शर्मा, का0 सुजीत शर्मा, का0 सुजीत यादव थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

**थाना-सरायमीर आजमगढ़**

**अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04/08/2024 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बस्ती नहर पुलिया से निर्माणाधीन महिला महाविद्यालय के आगे हाजी पुलिया के पास से एक व्यक्ति शादाब पुत्र स्व0 मोतीन निवासी खण्डवारी, थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को एक अदद तमन्चा .315 व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर को समय करीब 14.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. शादाब पुत्र स्व0 मोतीन निवासी खण्डवारी, थाना सरायमीर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 424/24 धारा धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 74/15 धारा 8147/148/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3(1)10,3(2)(5) एससीएसटी एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

2. मु0अ0स0 83/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

3. मु0अ0स0 13/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

4. मु0अ0स0 140/22 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

5. मु0अ0स0 77/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

6. मु0अ0स0 448/06 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

7. HS NO 61 A

बरामदगी- 1. एक अदद तमन्चा .315 बोर, 2- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1- उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

**थाना –मेंहनाजपुर**

**अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.08.24 को थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय द्वारा चेकिंग के दौरान तियरा नाला पुलिया के पास एक व्यक्ति शुभम राजभर पुत्र बबलू राजभर निवासी ग्राम मऊपरासिन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ तथा उम्र 23 वर्ष को अवैध असलहा व कारतूस के साथ समय करीब 11.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 128/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम राजभर पुत्र बबलू राजभर निवासी ग्राम मऊपरासिन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी : एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़

## थाना – कन्धरापुर

### अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 04.08.2024 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड खैरूद्दीनपुर अण्डर पास पुलिया के पास एक व्यक्ति अरमान उर्फ यासीन शेख पुत्र मो0 खालिद निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर समय 02.05 am पुलिस हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 218/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 218/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़  
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 218/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कन्धरापुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 152/24 धारा- 379/411 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आयुध अधिनियम थाना महाराजगंज आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 229/16 धारा 380/457 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता – अरमान उर्फ यासीन शेख पुत्र मो0 खालिद निवासी छिछोरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

बरामदगी- एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 श्री रमेश कुमार, उ0नि0 जावेद अख्तर, का0 विकास उमाशंकर कन्नौजिया, का सोनू कुमार थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

## थाना जहानागंज

### धार्मिक भावनाओं पर आहत पहुँचाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 03.08.2024 को थाना स्थानीय के वादी उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़ ने थाना उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोपी सुधीर कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी करपिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर आपत्ति जनक टिप्पणी करना ,उक्त पोस्ट को sudheer-bhai-0007 से धार्मिक भवनाओ को ठेस पहुचाने की नियत से पोस्ट किया गया, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-405/24 धारा 299/353(2)/196 BNS बनाम सुधीर कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी करपिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ दिनांक 03.08.2024 को पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 हृदयानन्द पाठक के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 04.08.2024 को उ0नि0 हृदयानन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 1. सुधीर कुमार पुत्र मनोज कुमार उम्र करीब 25 वर्ष नि0 करपिया जहानागंज जनपद आजमगढ़ को ग्राम करपिया 6 लेन पुल के से समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु0अ0सं0-405/24 धारा 299/353(2)/196 BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:

- 1- सुधीर कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी करपिया थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष  
बरामदगी का विवरण INFINIX एन्ड्रॉयड मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाना जहानागंज आजमगढ़
2. हे0का0 अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
3. का0 विनोद यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

**थाना बिलरियागंज**  
**अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।**

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 03.08.2024 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान छीही नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति शौकत पुत्र इम्तियाज निवासी शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 21.40 बजे बजाफता बकायदा गिरफ्तार किया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता

1. शौकत पुत्र इम्तियाज निवासी शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

बरामदगी-

• अवैध 01 अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 275/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 275/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

मु0अ0सं0 162/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 136/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 लवकुश कुमार सोनकर मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

**थाना-सरायमीर**

**चोरी की 02 बाइक व एक बकरी तथा अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 शातिर चोर गिरफ्तार ।**

पूर्व की घटना-

दिनांक 03.08.24 को जैगम अब्बास पुत्र सैय्यद इश्तेयाक हुसैन नि0 डण्डवा मुस्तफाबाद(खपडागाँव) थाना- सरायमीर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि मै लखनऊ में किराये पर सपरिवार रहता हूँ । मोह्रम के त्योहार पर 10-15 दिन के लिए घर आया था दिनांक 24/7/24 को मैं घर में ताला बंद कर लखनऊ चला गया था । दिनांक 2/8/24 को पड़ोसी के यहाँ से फोन गया कि आपके घर का ताला टूटा है । दिनांक 3/8/24 को घर वापस आया तो देखा कि घर के मेन चैनल गेट का ताला व अन्दर एक कमरे का ताला टूटा हुआ है । कमरे में रखी पहले से रखी मोटरसाइकिल न0 UP50AB-8357 NSG स्प्लेण्डर रंग काला ताला बंद का ताला तोडकर लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 421/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना व उ0नि0 योगेन्द्र कुमार को सुपुर्द की गयी ।

दिनांक 10.07.24 को जैदी अब्बास उर्फ शीशु पुत्र अली जहीर निवासी ग्राम डण्डवाँ मुस्तफाबाद (खपडागाँव) पोस्ट मिर्जापुर जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिये कि घर से रात के लगभग 1-15 पर हमारी बरदोरी में से किसी ने ताला तोडकर एक बकरी जो कि 25 हजार रु0 की थी उसे चोरी कर लिया है । प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 382/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना व उ0नि0 योगेन्द्र कुमार को सुपुर्द की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 04/08/2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि मोह्रम त्यौहार के समय बकरी चोरी डण्डवा मुस्तफाबाद (खपडागाँव) व दो दिन पहले उसी गाँव में मो0सा0 चोरी की घटना हुई हैं। चोरी से सम्बन्धित चार व्यक्ति दो मोटर साइकिल से बकरी सहित ग्राम नेवादा निजामाबाद से नहर के रास्ते ग्राम तोवा फूलपुर की तरफ जा रहे हैं यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, दोनो मोटर साइकिल पुलिया के नजदीक आने पर उनको रूकने का इशारा किया गया तो पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किये कि दोनो मोटर साइकिल चालक हड़बड़ाकर मोटर साइकिल सहित गिर गये जिसमें दोनो मो0सा0 के पीछे बैठे व्यक्ति नहर में कुदकर झाड़ियों के सहारे भाग गये। एक मोटर साइकिल पर एक सफेद लाल रंग की बकरी थी। दो मो0सा0 व दो व्यक्तियों को घेरमार कर पुलिया के पास हमराही कर्म0गण की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो मो0सा0 नं0 यू0पी0 50 एबी 8357 NSG हीरो स्पलेण्डर चालक ने अपना नाम अनवर पुत्र असलम निवासी ग्राम डण्डवा मुस्तफाबाद (खपडागाँव) थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बताया। जिसके जामा तलाशी से पहने हुए पैंट के बाये फेटे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 3790 /- रुपये बरामद हुआ। दूसरे मो0सा0 नं0 यू0पी0 50 सीबी 0327 बजाज पल्सर चालक ने अपना नाम इन्द्रजीत राव पुत्र केदारनाथ ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया। जिसके जामा तलाशी में पहने हुए पैंट के बाये फेटे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 4700/- रुपये बरामद हुआ। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से भागने वालो का नाम पता पूछा गयो तो बताये कि रेहान पुत्र शब्बीर ग्राम डण्डवा मुस्तफाबाद थाना सरायमीर आजमगढ़ व दूसरे का नाम जोगेन्द्र सोनकर पुत्र रामबृक्ष सोनकर

ग्राम बुद्धसेनपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ हैं। तथा दोनो व्यक्तियों से बरामद बकरी के बारे में पूछने पर अनवर ने बताया कि दिनांक 10.07.24 की रात में अपने पड़ोसी जैदी अब्बास के बरदौली/ कोठरी का ताला तोड़कर मैं व मेरे साथी इन्द्रजीत, रेहान व जोगेन्द्र सोनकर ने चोरी किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अनवर पुत्र असलम निवासी ग्राम डण्डवा मुस्तफाबाद (खपड़ागाँव) थाना सरायमीर आजमगढ़
2. इन्द्रजीत राव पुत्र केदारनाथ ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्तगण-

1. रेहान पुत्र शब्बीर ग्राम डण्डवा मुस्तफाबाद थाना सरायमीर आजमगढ़
2. जोगेन्द्र सोनकर पुत्र रामबृक्ष सोनकर ग्राम बुद्धसेनपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 422/24 धारा धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 382/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 421/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना सरायमीर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 284/24 धारा 379 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 159/24 धारा 457/380 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 281/24 धारा 380/427 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 539/17 धारा 363,366,504,506 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ (अनवर)

बरामदगी-

1. मो0सा0 नं0 यू0पी0 50 एबी 8357 हीरो स्प्लेण्डर
2. मो0सा0 नं0 यू0पी0 50 सीबी 0327 बजाज पल्सर
3. एक अदद जिन्दा बकरी
4. एक अदद टेम्पु (207 एमवी एक्ट सीज)

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़
2. व0उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़
- 3- उ0नि0 नीरज गोड़ मय हमराह, थाना सरायमीर आजमगढ़

### थाना- जीयनपुर

#### चोरी गये रूपये व अवैध असलहा कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

दिनांक- 03-08-2024 को उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह चंगईपुर तिराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि 01 व्यक्ति मोटरसाइकिल से भुवना वुजुर्ग की तरफ से आ रहा है जो अपराधी किस्म का है जिसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा अमुवारी नरायनपुर पुलिया से मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी ग्राम चलिस्वा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 22:35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 कागज की पुडिया (भुरे रंग का पाउडर), 10350/-रूपये बरामद हुआ।

➡ अभियुक्त ने बताया कि वह नशे का आदि है तथा दिनांक 18-19/07/2024 की रात को जीयनपुर चौक के पास अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर लगभग 37000/- रूपया चोरी किया था। उसमे से कुछ पैसे खर्च हो गये तथा शेष 10350/- रुपये बचे है।

➡ बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में बताया कि उक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्त ने नशे की हालत में बनकट के आस पास रोड के किनारे से उठा लिया था इस पर जो नम्बर प्लेट लगा था उसे उखाड़कर फेक दिया था।

➡ अभियुक्त के कब्जे से बरामद रूपये थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 329/2024 धारा 331(4)/305 BNS से सम्बन्धित है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)BNS की बढोतरी की गयी।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 354/2024 धारा 3/25 A ACT बनाम सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी ग्राम चलिस्वा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द्र चौहान निवासी ग्राम चलिस्वा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 30 वर्ष थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ। H.S. संख्या 216A

बरामदगी- 01 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 10350/-रूपये (चोरी के)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 354/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 329/2024 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0स0 431/2022 धारा 379/411/4413 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0स0 474/2017 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0स0 160/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. मु0अ0स0 10/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
6. मु0अ0स0 22/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
7. मु0अ0स0 27/2021 धारा 401/411 भादवि व 3/25 A ACT थाना निजामाबाद आजमगढ़
8. मु0अ0स0 284/2023 धारा 380/457/411/414 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
9. मु0अ0स0 273/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
10. मु0अ0स0 278/2022 धारा 411/413/420/465 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
11. मु0अ0स0 279/2022 धारा 3/25 A ACT थाना मुबारकपुर आजमगढ़
12. मु0अ0स0 221/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़
13. मु0अ0स0 161/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
14. मु0अ0स0 256/2017 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ़
15. मु0अ0स0 05/2018 धारा 379/411/420 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
16. मु0अ0स0 144/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
17. मु0अ0स0 0149/2024 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
18. मु0अ0स0 0150/2024 धारा 3/25 A ACT थाना सिधारी आजमगढ़
19. मु0अ0स0 0152/2022 धारा 3/25 A ACT थाना सिधारी आजमगढ़
20. मु0अ0स0 338/2022 धारा 380/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
21. मु0अ0स0 495/2015 धारा 401 भादवि थाना जी.आर.पी. चारबाग लखनऊ जनपद जीआरपी अनुभाग लखनऊ
22. मु0अ0स0 15/2024 धारा 379 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ दक्षिणी (कमिश्नरेट लखनऊ)
23. मु0अ0स0 026/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ दक्षिणी (कमिश्नरेट लखनऊ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0विजय सिंह गौड़, हे0का0राजेश कुमार, का0दशरथ सिंह, का0प्रदुम्न यादव, का0प्रवीन कुमार, म0का0अर्चना कुशवाहा थाना जीयनपुर आजमगढ़।

